झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
पंचदश (बजट)सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, बुधवार, दिनांकः– 09,फाल्गुन,1945 (श0) को 28 फरवरी,2024 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
#44.	ग्राम–09	श्री नलिन सोरेन,	पुलों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	22-02-24
45.	पथ–11	श्री रामचन्द्र सिंह,	पथों का निर्माण।	पथ निर्माण	22-02-24
46.	पथ–05	श्री कमलेश कुमार सिंह,	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	20-02-24
47.	पथ–01	श्री विनोद कुमार सिंह,	पुलों का निर्माण।	पथ निर्माण	18-02-24
48.	भ0–01	श्री राज सिन्हा,	दोषी पर कार्रवाई।	भवन निर्माण	18-02-24
49.	पथ–06	डॉ0लम्बोदर महतो,	अण्डर पास का निर्माण।	पथ निर्माण	21-02-24
*50.	ग्राम–05	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	दोषी पर कार्रवाई एवं भुगतान पर रोक।	ग्रामीण विकास	19-02-24
##51.	ग्राम–02	श्री कोचे मुण्डा,	पथ का जीर्णोद्धार।	ग्रामीण विकास	18-02-24
52.	न0–01	श्री बिरंची नारायण,	अतिक्रमण मुक्त कराना।	नगर विकास एवं आवास	18-02-24
53.	पथ–12	श्री रामचन्द्र सिंह,	पथ चौड़ीकरण करना।	पथ निर्माण	22-02-24
**54.	ग्राम–10	श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता,	पुल की मरम्मति करना।	ग्रामीण विकास	22-02-24

नोट :– #44–ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक–751, दिनांक–23-02-2024 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित।

*50_ ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक–712,दिनांक–22-02-2024 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित।

##51–ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक–751, दिनांक–23-02-2024 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित।

**54–ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक–751, दिनांक–23-02-2024 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित।

01	02	03	04	05	06
55.	पथ-04	श्री कमलेश कुमार सिंह,	सड़क की मरम्मति।	पथ निर्माण	20-02-24
56.	ग्राम्य-02	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	दोषी पर कार्रवाई एवं भुगतान पर रोक।	ग्रामीण कार्य	19-02-24
57.	पंचा-01	श्री अमित कुमार मंडल,	अधूरे कार्यो की जाँच।	पंचायती राज	22-02-24
58.	ग्राम्य-01	श्री विकास कुमार मुण्डा,	सड़क एवं पुल का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	19-02-24
59.	पथ-02	श्री विनोद कुमार सिंह,	रैयतों को भुगतान करना।	पथ निर्माण	18-02-24
###60.	परि-02	श्री ढुलू महतो,	बस स्टैण्ड का निर्माण कराना।	परिवहन	22-02-24
61.	न0-02	श्री नवीन जयसवाल,	नया पुल निर्माण कराना।	नगर विकास एवं आवास	19-02-24
62.	ग्राम्य-03	डॉ0लम्बोदर महतो,	पुलों का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	21-02-24
***63.	ग्राम-03	श्री आलोक कुमार चौरसिया,	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	18-02-24
64.	पथ-08	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	सड़क निर्माण कराना।	पथ निर्माण	22-02-24
65.	पथ-14	श्री दशरथ गागराई,	पथ निर्माण कराना।	पथ निर्माण	22-02-24
66.	भ0-02	श्री सुखराम उराँव,	प्रवेश द्वारा का नव-निर्माण करना।	भवन निर्माण	22-02-24
+67.	ग्राम-08	श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता,	पथ का निर्माण कराना।	ग्रामीण विकास	22-02-24
68.	पथ-13	श्रीमती सुनिता चौधरी,	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	22-02-24
69.	पथ-03	श्री बिरंची नारायण,	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	18-02-24
70.	न0-04	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,	बस स्टैण्ड में समुचित व्यवस्था कराना।	नगर विकास एवं आवास	21-02-24
71.	ग्राम-07	श्री मनीष जायसवाल,	मानदेय का भुगतान करना।	ग्रामीण विकास	22-02-24
72	पथ-09	श्री ढुलू महतो,	मुआवजा का भुगतान करना।	पथ निर्माण	22-02-24
+73.	ग्राम-01	श्री कोचे मुण्डा,	पुल का निर्माण कराना।	ग्रामीण विकास	18-02-24
74.	ग्राम-04	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	संविदा राशि का भुगतान।	ग्रामीण विकास	19-02-24
75.	परि-01	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	योजना आरंभ करना।	परिवहन	18-02-24
+++76.	ग्राम-06	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	पथों का पुनर्निर्माण।	ग्रामीण विकास	19-02-24

###60-परिवहन विभाग के ज्ञापांक-297, दिनांक-23.02.2024 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित।

***63-ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक-751, दिनांक-23-02-2024 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित।

+67- ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक-751, दिनांक-23-02-2024 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित।

++73-ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक-751, दिनांक-23-02-2024 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित।

+++76-ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक-751, दिनांक-23-02-2024 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित।

कृ0पृ0उ0-03

01	02	03	04	05	06
77.	न0-03	श्री नवीन जयसवाल,	सिवरेज ड्रेनेज कार्य करना।	नगर विकास एवं आवास	19-02-24
78.	पथ-10	श्री मथुरा प्रयाद महतो,	फ्लाई ओवर का निर्माण कराना।	पथ निर्माण	22-02-24
79.	पथ-07	श्री मनीष जायसवाल,	सड़क का चौड़ीकरण कराना।	पथ निर्माण	22-02-24

.....

राँची,
दिनांक-28 फरवरी,2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0 (प्रश्न)- 04/2020-2950/वि0स0,राँची,दिनांकः-27/02/24

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
27.02.24

(नीलेश रंजन)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0 (प्रश्न)- 04/2020-2950/वि0स0,राँची,दिनांकः-27/02/24

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
27.02.24

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0 (प्रश्न)- 04/2020-2950/वि0स0,राँची,दिनांकः-27/02/24

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन समिति/शाखा, प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा,झारखण्ड विधान सभा,राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
27.02.24

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी/

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–09 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1– क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का शिकारीपाड़ा विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2–क्या यह बात सही है कि शिकारीपाड़ा प्रखण्ड के (1) ग्राम–सोनाढाव से ग्राम धर्मपुर के बीच तथा (2) घाट–हरिपुर से कुरूबटांड़ के बीच नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3–क्या यह बात सही है कि दोनों पुलों के अगल–बगल 10–15 गाँव/टोला अवस्थित है तथा ग्रामीणों को मरीजों के ईलाज हेतु जिला व प्रखण्ड मुख्यालय, छात्र/छात्राओं को स्कूल/कॉलेज जाने हेतु बरसात के दिनों में आवागमन में काफी परेशानी उठाना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
4–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उपरोक्त दोनों उच्च स्तरीय पुलों का कार्य ग्रामीणों के हित में सुलभ आवागमन के लिए शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत् प्रत्येक माननीय स0वि0स0 की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 दोनों को मिलाकर रू0 20.00 करोड़ तक की पुल/पुलिया निर्माण योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने संबंधी विभागीय नीति संसूचित है। माननीय स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित 05 योजनाओं की कुल रूपये 22.206 करोड़ की लागत पर स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में समेकित रूप से दी जा चुकी है। मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत प्रश्नांकित योजनाओं की स्वीकृति पर आगामी वित्तीय वर्ष में विभागीय नीति/बजटीय उपबंध के आलोक में विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–38/2024/ग्रा0का0वि0 441 राँची, दिनांक – 26/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2810 वि0स0 दिनांक– 22.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–38/2024/ग्रा0का0वि0 441 राँची, दिनांक – 26/02/2024

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–38/2024/ग्रा0का0वि0 441 राँची, दिनांक – 26/02/2024

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव

(45)

माननीय श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स० द्वारा सदन में दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–पथ–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत मनिका विधानसभा क्षेत्र में पड़नेवाले (1) मनिका NH-39 ग्राम सिंजो बन्दुआ मोड़–मतनाग–बरवईया–चामा–सेवन–डोकी–पगार–पसांगन होते ग्राम कसमार PWD पथ तक–25कि०मी० (2) सतबरवा प्रखण्ड में बकोरिया से बरवईया सूरजवन बेतला होते RCD पथ–20कि०मी० (3) मनिका डोंकी पसांगन होते हुए ताल सिमाना (बालूमाथ पांकी) पथ तक–20 कि०मी० (4) महुआडांड़ अंतर्गत रजडंडा (महुआडांड–डाल्टेनगंज) से बेलटोली,परहाटोली,टूनटोली,पारिस होते हुए कापू तक–10कि०मी० पथ कई प्रखण्डों एवं जिलों को जोड़ती है ; 2. क्या यह बात सही है कि वर्णित पथों के निर्माण से स्थानीय लोगों एवं भारी वाहनों के आवागमन में सहूलियत होगी ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं,तो क्या, सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी पथों का निर्माण पथ निर्माण विभाग से चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है,हाँ,तो कब तक, नहीं,तो क्यों ?	प्रश्नगत सभी चारो पथ, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीनस्थ है। पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प०नि०वि०–11–ता०प्र०–11/2024(बजट) सत्र 1329(L) राँची/दिनांक: 27/02/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2800, दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अशोक कु० सिंह
27/2/24
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय श्री कमलेश कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत एनएच 98 सुल्तानी से सरसोत, पथरा पिकेट, महुवरी, ढकचा, पचमो, भोजुआ होते हुए पीडबल्यूडी मुख्य पथ नौडीहा बाजार तक ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाली सड़क की स्थिति बहुत ही जीर्ण–शीर्ण है;	यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीनस्थ है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सड़क झारखण्ड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित है तथा इसी सड़क पर पुलिस पिकेट भी स्थापित है, यहाँ पर अच्छी सड़क का होना प्रशासनिक एवं जनहित में अति आवश्यक है ;	पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करते हुए सड़क का निर्माण करना चाहती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–05/2024(बजट) सत्र 932(S) **राँची/दिनांकः–** 27/02/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2738, दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अशोक कु० सिंह
27/2/24
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(47)

माननीय श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर में हेसला–बेको पथ का निर्माण कार्य चार (04) वर्ष के बाद भी पूर्ण नहीं हुआ है ;	प्रश्नगत पथ, पथ निर्माण की पथ है, जो वर्ष 2019 में ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ में प्रस्तावित पुलों का चौड़ीकरण नहीं होने से दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है ;	हस्तानान्तरण के समय यह पथ सिंगल लेन (चौड़ाई – 3.75 मीटर) एवं ROW लगभग 7.0 से 8.0 मीटर था। जिसे इंटरमिडीएट लेन (चौड़ाई – 5.50 मीटर) तथा ROW – 15.0 मीटर बनाने हेतु रू0 69.25 करोड़ की राशि पर स्वीकृति प्रदान की गई तथा कार्य प्रगतिशील है, जिसमें 70 प्रतिशत प्रगति हासिल की गई है। मौलिक रूप से भू–अर्जन हेतु रू0 15.52 करोड़ का प्रावधान था, जबकि जिला भू–अर्जन कार्यालय के आकलन एवं प्रतिवेदन के अनुसार रू0 59.08 करोड़ की अधियाचना की गई है। जिसके निमित्त पुनरीक्षण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हेसला बेको पथ में पुलों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	जहां तक पुल निर्माण का प्रश्न है, परियोजना अन्तर्गत 8 (आठ) पुलों का निर्माण किया जाना है, जो सभी जल संसाधन विभाग के कोनार नहर पर होंगे। निर्माण हेतु अनापत्ति के निमित्त जल संसाधन विभाग से अनुरोध किया गया है, जो अभी अप्राप्त है। माननीय सदस्य की भावना के मद्देनजर पुनः जल संसाधन विभाग से अनुरोध किया गया है। अनापत्ति प्राप्त होने पर शीघ्र निर्माण पूर्ण करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–01/2024(बजट) सत्र 942(S) राँची/दिनांक:– 27/02/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2642, दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अशोक कुमार सिंह
27/2/24

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(48)

श्री राज सिन्हा, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–भ0–01 का उत्तर प्रतिवेदन का :–

क्रम	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 अन्तर्गत 2,50,00,000 (दो करोड़ पचास लाख) रूपया की लागत से धनबाद के नये समाहरणालय के भवन के पहुँच पथ का निर्माण किया गया, जिसका मूल प्राक्कलित राशि 1,26,00,000 (एक करोड़ छब्बीस लाख) रूपया थी, किन्तु संवेदक एवं धनबाद भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता श्री चंदन कुमार की मिली भगत से प्राक्कलन की राशि बढ़ा दी गयी ;	अस्वीकारात्मक। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, धनबाद का पत्रांक–348 दिनांक–20.02.2024 के द्वारा प्रतिवेदित है कि नये समाहरणालय भवन के अन्दर पहुँच पथ के निर्माण कार्य की प्राक्कलित राशि 2,48,87,044/–(दो करोड़ अड़तालिस लाख, सतासी हजार, चौवालिस) रूपये मात्र है। जिसमें किये गये कार्य के अनुरूप संवेदक को कुल 2,32,78,663.00 (दो करोड़ बतीस लाख, अठहत्तर हजार छः सौ तिरसठ) रूपये मात्र का भुगतान किया गया है। उल्लेखित कार्य पूर्ण होने की अवधि (21.06.2023) में श्री चन्दन कुमार, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, धनबाद के पद पर पदस्थापित नहीं थे।
2.	क्या यह बात सही है कि मात्र डेढ़ महीने में ही उपरोक्त सड़क जर्जर अवस्था में हो गयी है क्योंकि निर्माण कार्य में मानक व गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण सरकारी कोष का भारी नुकसान हुआ है ;	अस्वीकारात्मक। सड़क निर्माण का कार्य गुणवत्ता के अनुरूप कराया गया है, जिसकी गुणवत्ता की जाँच **B.I.T. Sindri,** धनबाद के द्वारा करायी गयी है, जिससे संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित पथ निर्माण के कार्य में बरती गयी घोर अनियमितता की जाँच करवा कर दोषी पदाधिकारी को दंडित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

23.02.24

सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः– प्र0–03–विधायी–(ता0प0–भ0–01)–03/24भ0नि0 376 राँची, दिनांकः–23/2/24

प्रतिलिपिः–श्री नीलेश रंजन, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–2645 दिनांक–18.02.2024 के आलोक में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2.24

सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(49)

माननीय डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत राज्य में बनारस से कोलकाता सिक्स लेन पथों का निर्माण हो रहा है, जिसके बीचो–बीच नेमरा (गोला प्रखण्ड) से बंगाल सीमाना जरिडीह प्रखण्ड तक पथों का निर्माण किया जा रहा है; 2. क्या यह बात सही है कि बनारस से कोलकाता सिक्स लेन पथ द्वारा नेमरा (गोला प्रखण्ड) से जरीडिह प्रखण्ड बंगाल सीमाना पथ के लिए कसमार प्रखण्ड अन्तर्गत मंगल चंडी के समीप अंडर पास नहीं दिया गया है; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बनारस से कोलकाता सिक्स लेन पथ में मंगल चंडी में अंडर पास का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, NHAI से संबंधित है। प्रश्नगत सन्दर्भ में NHAI से निम्न उत्तर प्राप्त है :– प्रस्तावित बनारस से कोलकाता खंड पर मंगलचण्डी के समीप अण्डरपास का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–06/2024(बजट) सत्र 931(S) **राँची/दिनांक:–** 27/02/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2775, दिनांक–21.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अशोक कु० सिंह
27/2/24

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 को सदन में पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–05 का उत्तर सामग्री :–

<table>
<tr><th>प्रश्नकर्त्ता</th><th>उत्तरदाता</th></tr>
<tr><td>श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स0वि0स0</td><td>श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग</td></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के काण्डी प्रखण्ड अंतर्गत PMGSY द्वारा निम्न योजनाए ली गई है जिसका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है :–
<table>
<tr><th>S.N</th><th>Pakage No</th><th>Block</th><th>रोड का नाम</th><th>लम्बाई कि0मी0</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="3">JH-P3-22-23-Gar-02-FDR</td><td rowspan="3">काण्डी</td><td>MRL15-T03 to Marhatia to belhat to Kharunda</td><td>5.72 कि0मी0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>MRL19-Ranadih to Sogra T01</td><td>5.65 कि0मी0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>T01- Mokhapi More to Kandi via Mahuli dema</td><td>8.85 कि0मी0</td></tr>
</table>
</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2. क्या बात सही है कि संवेदक द्वारा तीनों सड़क का निर्माण घटिया किस्म का तथा प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया जा रहा है, जो जल्दी ही क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे जनता में काफी आक्रोश है;</td><td>क्रमांक–1 में अंकित योजना का कार्य संवेदक द्वारा अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। क्रमांक–2 एवं 3 में अंकित योजना में प्रारंभिक (मिट्टी, गार्डवाल एवं कल्वर्ट) कार्य ही किया जा रहा है, जो प्राक्कलन में विहित प्रावधान एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।</td></tr>
<tr><td>3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए भुगतान रोक कर जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नही तो क्यों?</td><td>प्रश्नगत योजना का कार्य Full Depth Reclamation (FDR) Technology के द्वारा किया जाना है जिसमें NQM (National Quality Monitor)/SQM (State Quality Monitor) से जाँच का प्रावधान है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–268/2024 ग्रामीण कार्य विभाग 442 राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2680, दिनांक–19.02.2024 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/24
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–268/2024 ग्रामीण कार्य विभाग 442 राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–268/2024 ग्रामीण कार्य विभाग 442 राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/24
सरकार के संयक्त सचिव।

(51)

श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
01– क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत मुरूचकेल रेलवे अंडरपास से लापा चमरूगेट बरटोली मोरम पथ (लगभग 4 कि0मी0) जर्जर स्थिति में है ;	स्वीकारात्मक।
02– क्या यह बात सही है कि राँची–धुर्वा–कमडारा जाने में रेलवे का दो अंडरपास (लापा अंडरपास एवं मुरूचकेल अंडरपास) होने से बड़ी गाड़ियों का आना–जाना बाधित है ;	स्वीकारात्मक।
03– क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथ का जीर्णोद्धार, चौड़ीकरण–सह–कालीकरण कर देने से रेलवे लाईन के किनारे–किनारे बड़ी गाड़ियों का आना–जाना संभव हो सकेगा ;	स्वीकारात्मक।
04– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 में वर्णित पथ का जीर्णोद्धार, चौड़ीकरण–सह–कालीकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि पथ की लं0–3.30 कि0मी0 है, जिसमें लं0–0.800 कि0मी0 रेलवे के क्षेत्राधिकार में है। रेलवे से भूमि हस्तांतरण एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–264/2024 ग्रा0का0वि0 453 राँची, दिनांक 27.2.2024

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2640 दिनांक–18.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 27/2/24

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–264/2024 ग्रा0का0वि0 453 राँची, दिनांक 27.02.24

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह0) 27/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–264/2024 ग्रा0का0वि0 453 राँची, दिनांक 27.02.2024

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह0) 27/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

(52)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या०–न०–01 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चास, बोकारो सहित राज्य के सभी जिलों में अवस्थित नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत फुटपाथ दुकानदारों के कारण प्रमुख सड़कें एवं मुख्य मार्ग हमेशा जाम रहता है, और जब भी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है, तब इसका खामियाजा इन गरीब स्ट्रीट वेंडरों को भुगतना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इन गरीब स्ट्रीट वेंडरों के कल्याणार्थ स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू किया गया है, जहाँ इनके निबंधन से लेकर पुनर्वास और इनके जीविकोपार्जन को सपोर्ट करने के उपबंध किये गये हैं;	भारत सरकार के पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन), 2014 अधिनियम के आलोक में राज्य के पथ विक्रेताओं के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार के द्वारा पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2015 एवं पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण (स्कीम) 2017 अधिसूचित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में सभी जिलों में इनके लिए इनकी आबादी और इनकी उपस्थिति के अनुरूप वेंडर्स मार्केट का निर्माण करवाकर इनके पुनर्वास को सुनिश्चित करवाते हुए नगरपालिका क्षेत्र के प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने एवं सुगम यातायात सुविधा प्रदान करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित रूप से पुनर्वासित करने हेतु 14वीं तथा 15वीं वित्त आयोग से 144 वेंडिग जोन की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें से कुल 37 का निर्माण हो चुका है एवं शेष प्रक्रियाधीन है। नगरपालिका क्षेत्र की प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने एवं सुगम यातायात सुविधा प्रदान की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–03 / वि०स० / ता०प्र०–01 / 01 / 2024 / न०वि०आ० 796 राँची, दिनांक–27/02/24

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–2648 दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/24
सरकार के उप सचिव।

(53)

माननीय श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स० द्वारा सदन में दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत महुआडांड अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग द्वारा महुआडांड से धवईटोली,मेराम होते हुए चम्पा तक पथ का निर्माण कराया गया है,जिसमें चम्पा घाटी में पथ संकीर्ण होने के कारण आये दिन दुर्घटना होते रहती है, जिससे कई लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत भी हो गय है;	प्रश्नगत् पथ का पुनर्निर्माण कार्य 18.08.2021 को पूर्ण किया गया है। पथ का Black top – 7.00 मीटरएवंFormation width – 12.00 मीटर है। चम्पा घाटी में पथ में Black top औसतन 8.00 मीटर चौड़ा है एवंFlanks में 1.00 मीटर चौड़ाई मेंPCC कार्य कराया गया है। चम्पा घाटी मेंRCC Retaining Wall के निर्माण के साथसड़क सुरक्षा हेतुRoad Signage (Speed limit, Rumble strip, Cautionary sign board) इत्यादि का अधिश्ठापन किया गया है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ अन्तर्गत पड़ने वाले घाटी में घाटी काटकर पथ चौड़ीकरण करने का विचार रखती है,हाँ,तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	मान्नीय सदस्य की भावना के मद्देनजर प्रश्नगत् घाटी क्षेत्र में चौड़ीकरण की सम्भाव्यता अध्ययन कराकर तदनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

<u>पथ निर्माण विभाग, राँची।</u>

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–12/2024(बजट) सत्र 938(S) **राँची/दिनांकः–** 27/02/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2803, दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अशोक कु० सिंह 27/2/24

सरकार के अवर सचिव,

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

54

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–10 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1– क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधान सभा क्षेत्र खन्न औद्योगिक एवं घनी आबादी का क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2–क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड निरसा अंतर्गत भालजोड़िया स्थित खुदिया नदी पर अवस्थित पुल अत्यंत ही जर्जर/जीर्ण–शीर्ण हो गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3–क्या यह बात सही है कि जर्जर होने के कारण पुल पर वाहनों के परिचालन में काफी परेशानी चालकों को झेलना पड़ता है, तथा कभी भी अप्रिय घटना व जान माल के नुकसान की संभावना बनी रहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपरोक्त जर्जर/जीर्ण–शीर्ण पुल की मरम्मति नागरिकों के हित एवं सुगम यातायात हेतु चालू वित्तीय वर्ष में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	प्रश्नांकित पुल की मरम्मति हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–39/2024/ग्रा0का0वि0 447 राँची, दिनांक – 26/02/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2808 वि0स0 दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–39/2024/ग्रा0का0वि0 447 राँची, दिनांक – 26/02/2024

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–39/2024/ग्रा0का0वि0 447 राँची, दिनांक – 26/02/2024

प्रतिलिपिः–विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव

(55)

माननीय श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा सदन में दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद से पथराघाट (PWD मुख्य पथ हुसैनाबाद नहर मोड़ से पिपरा होते हुए NH-98 दुबटिया तक) पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले सड़क की स्थिति काफी जीर्ण–शीर्ण हो गई है, फलस्व रूप आवागमन दूभर हो गया है;	प्रश्नगत, हुसैनाबाद–पथराघाट पथ, पथ निर्माण विभाग की पथ है। ग्रामीण कार्य विभाग से उक्त पथ का हस्तानान्तरण वर्ष 2014 में किया गया है एवं सिंगल लेन(चौड़ाई–3.75 मी0)पथ को वर्ष 2019–20 में इंटरमिडिएट लेन (चौड़ाई–5.50मी0) के रूप में चौड़ीकृत कर विकसित किया गया है। साथ हीं वर्ष 2020–21 में पथ की आवश्यक मरम्मति की गई है। इस प्रकार समय–समय पर पथ की आवश्यक उन्नयन/मरम्मति की गई है। आगामी समय में सड़क की अद्यतन स्थिति का पुर्नआकलन कर आवश्यक सुधार के साथ योग्य अवस्था बहाल कर ली जाएगी।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित सड़क की IRQP Work कराने हेतु मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक-1204, दिनांक-09.10.2023 के द्वारा 15 करोड़ 77 लाख 42 हज़ार 100 रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया गया है;	
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित तकनीकी स्वीकृति के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु 31 जनवरी 2024 तक कोई कार्य नहीं हुए है;	
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद से पथरा घाट सड़क की वृहद मरम्मति कराने का विचार रखती है ; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–04/2024(बजट) सत्र 9354(S) राँची/दिनांक:– 27/02/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2729, दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अशोक कु० सिंह
27/2/24

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 को सदन में पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम्य–02 का उत्तर सामग्री :–

<table>
<tr><th>प्रश्नकर्त्ता</th><th>उत्तरदाता</th></tr>
<tr><td>श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स0वि0स0</td><td>श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग</td></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखण्ड के अंतर्गत निम्न योजनाएँ ली गई, जिसका कार्य प्रारंभ किया गया है:–
<table>
<tr><th>क्र०सं०</th><th>पैकेज सं0</th><th>प्रखण्ड</th><th>योजना का नाम</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="4">JH-P3-22-23-PAL-LSB-01 S.S Construction Palamu</td><td rowspan="4">विश्रामपुर</td><td>Costruction of HL. RCC Bridge at Chainage 10+000 in between T01 Musikhap and Nawabazar over Dumuhan River (L-20-64)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Costruction of HLRCC Bridge at Chainage 11+890 in between T01 Musikhap and T04 Nawabazar over Sonr Mahua River (L-32-64)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Costruction of HL. RCC Bridge at Chainage 13+215 in between T01 Musikhap and T04 Nawabazar over Behera Kajla River (L-20-64)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Costruction of HL. RCC Bridge over Local Nala in between T01 Musikhap and T04 Nawabazar ch 13+450 (L-20-64)</td></tr>
</table></td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।

क्रमांक–2, 3 एवं 4 पर अंकित तीनों पुल में Sub Structure तक निर्माण कार्य कराया गया है। वर्त्तमान में इन सभी उच्च स्तरीय पुलों में वन विभाग के द्वारा वनभूमि बताकर कार्य बंद कर दिया गया है। क्रमांक–1 में अंकित पुल में अबतक कोई कार्य नहीं कराया गया है।</td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि उक्त योजना में संवेदक द्वारा घटिया किस्म की सामग्री लगाई जा रही है एवं प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण पुल कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
प्रश्नगत पुल में कराया गया निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुरूप है। कार्य की जाँच SQM (State Quality Monitor) श्री रविशंकर सिन्हा द्वारा दिनांक–25.09.2023 को किया गया, जिसमें कार्य संतोषजनक पाया गया है।</td></tr>
<tr><td>3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए भुगतान रोकने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?</td><td></td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक :– 07 (वि0स0–12)–32/2024 ग्रामीण कार्य विभाग 439 राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2681, दिनांक–19.02.2024 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/24

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 07 (वि0स0–12)–32/2024 ग्रामीण कार्य विभाग 439 राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 07 (वि0स0–12)–32/2024 ग्रामीण कार्य विभाग 439 राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

(57)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पंचा0–01 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिस वजह से अगले वित्तीय वर्ष की अनुदान राशि का आवंटन केन्द्र द्वारा राज्य को नहीं हो पायेगा;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के चौथे राज्य वित्त आयोग का गठन वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–1955/वि0 दिनांक 23.07.2019 द्वारा किया गया था जिसका कार्यकाल दिनांक 27.01.2024 को समाप्त हो चुका। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरांत झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 144(1) के आलोक में पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन एवं उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 526 दिनांक 23.02.2024 द्वारा किया गया है ।
(2) क्या यह बात सही है कि गोड्डा विधान सभा अन्तर्गत पैसे के आभाव में/या फिर जबरन राशि निकासी कर कई योजनाओं (14वें वित्त आयोग) के आधा अधूरा छोड़ दिया गया है, उदाहरण स्वरूप गोड्डा प्रखण्ड अन्तर्गत जमनी पहाड़पुर पंचायत के मरीक टोला एवं जोगनाडीह में अधूरा जलमीनार निर्माण कार्य और पथरगामा प्रखण्ड के पड्डुवा पंचायत के पड्डुवा गाँव में मेन रोड से प्रमोद यादव घर तक सड़क निर्माण कार्य शामिल है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा पत्रांक 161 दिनांक 24.02.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पथरगामा प्रखण्ड के पड्डुवा पंचायत के पड्डुवा गाँव में मेन रोड से प्रमोद यादव घर तक सड़क निर्माण कार्य 15वें वित्त आयोग की निधि से कराया गया है तथा कार्य पूर्ण हो गया है। सम्प्रति प्रखण्ड गोड्डा के जमनीपहाड़पुर पंचायत के मरीक टोला एवं जोगनाडीह में जलमीनार कार्य राशि के अभाव में अपूर्ण है।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–02 के आलोक में गोड्डा विधानसभा सभा अन्तर्गत सारे अधूरे कार्यों (14वें वित्त आयोग) की जाँच कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सरकार लम्बित कार्य पूर्ण करने हेतु सचेष्ट है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–11/2024–520/, राँची, दिनांकः– 27.2.24

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 2804 दिनांक 22.02.2024 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-2-24

(सुरेश कुमार दास)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–11/2024–520/, राँची, दिनांकः– 27.2.24

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

27-2-24

सरकार के अवर सचिव ।

कृ0पृ0उ0..2/..

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–11/2024–520–/, राँची, दिनांकः– 27.2.24

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27-2-24

सरकार के अवर सचिव ।

अनिल/26.02.2024

(58)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम्य–01 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
01– क्या यह बात सही है कि खूँटी प्रमण्डल के प्रखंड अड़की अन्तर्गत गम्हरिया से मरानबुरू और टूइगुटू से कुरिया सड़क निर्माण तथा तमाड़ प्रखण्ड अन्तर्गत उलिडीह पंचायत के इचाडीह गाँव में टूटे हुए पुल का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है जबकि निविदाऐं काफी पूर्व सम्पन्न हो चूकि है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रखंड अड़की अंतर्गत मारांबुरू से गम्हरिया एवं टूइगुटू से कुरिया पथ का निविदा निस्तार हो गया है एवं एकरारनामा (F2-44/2023-24) हो गया है। वर्त्तमान में कार्य प्रगति पर है। तमाड़ प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–ईचाडीह को एन0एच0–33 से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बाडू नदी पर पुल निर्माण की निविदा का निस्तार कर दिया गया है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।
02–क्या यह बात सही है कि तमाड़ प्रखण्ड के कांची नदी पर हाराडीह और बामलाडीह का पुल दो वर्ष पूर्व टूट गया है और कई बार मेरे द्वारा पत्राचार करने के बाबजूद अबतक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय आदेश सं0–785 दिनांक–16.08.2021 द्वारा गोमियाडीह एवं बामलाडीह के बीच काँची नदी पर निर्मित पुल के ध्वस्त होने के कारणों की जाँच हेतु तत्कालीन मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय आदेश सं0–52 दिनांक–02.05.2023 द्वारा अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय जाँच दल का गठन किया गया। जाँच दल के अध्यक्ष के स्थानान्तरण के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए पुनः कार्यालय आदेश सं0–114 दिनांक–08.11.2023 द्वारा अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय उच्च स्तरीय जाँच दल का गठन किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। बुढ़ाडीह से हाराडीह–नावाडीह पथ में काँची नदी पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल के संबंध में अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पुल के Remaining/existing Structure के Reuse हेतु पुल निर्माण कार्य की गुणवत्ता/Stability की जाँच हेतु आई0आई0टी0, धनबाद से स्थल निरीक्षण कर जाँच में लगने वाले समय/संभावित व्यय के साथ विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। गोमियाडीह एवं बामलाडीह के बीच काँची नदी पर निर्मित क्षतिग्रस्त पुल के संबंध में अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग से जाँच प्रतिवेदन तथा बुढ़ाडीह से हाराडीह–नावाडीह पथ में काँची नदी पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल के संबंध में आई0आई0टी0, धनबाद से मंतव्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।
03–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर वर्णित कार्यों का निष्पादन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	

P.T.O

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–31 / 2024 / ग्रा0का0वि0 444 राँची, दिनांक– 26/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2682 वि0स0 दिनांक– 19.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–31 / 2024 / ग्रा0का0वि0 444 राँची, दिनांक– 26/2/2024

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–31 / 2024 / ग्रा0का0वि0 444 राँची, दिनांक– 26/2/2024

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव

(59)

माननीय श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखण्ड में हेसला–बेको पथ और हेसला–औरा भाया अलगडीहा पथ के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ में रैयतों को अब तक भूमि अधिग्रहण का भुगतान नहीं हो पाया है और जिला प्रशासन को भी राशि नहीं भेजी गई है ;	प्रश्न अंतर्गत दोनों पथ यथा (1) हेसला–बेको (लंबाई–29.925 कि0मी0) तथा (2) हेसला से औरा भाया तिरला, अलकडीहा पथ (लंबाई–14.020 कि0मी0) पथ निर्माण विभाग अधीन है। दोनों ही पथ ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत थी जिसका हस्तानान्तरण क्रमशः वर्ष 2019 एवं 2022 में पथ निर्माण विभाग अंतर्गत किया गया है। जिसका ROW लगभग 7–8 मीटर था। विभाग द्वारा दोनों पथों के चौड़ीकरण की योजना स्वीकृत की गई है। जिसके अनुसार ROW-15.00m का प्रावधान है। उक्त क्रम में परियोजनावार भू–अर्जन की स्थिति निम्न प्रकार है। (1) हेसला–बेको पथ (लंबाई–29.925 कि0मी0) –स्वीकृत परियोजना में भू–अर्जन हेतु रू0 15.52 करोड़ का प्रावधान था। जबकि जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा 79.913 एकड़ भूमि अर्जन हेतु रू0 59.08 करोड़ की अधियाचना की गई है। जिसके निमित्त प्रावधान की पुनरीक्षण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जिसके उपरान्त आवश्यक निधि उक्त मद हेतु आवंटित की जा सकेगी। (2) हेसला–औरा (लंबाई–14.020 कि0मी0)–पथ के चौड़ीकरण हेतु स्वीकृत परियोजना अंतर्गत भू–अर्जन हेतु रू0 4.57 करोड़ का प्रावधान है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रैयतों को भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा भू–अर्जन प्रस्ताव में त्रुटि निराकरण हेतु अनुरोध किया गया है। जिसके आलोक में परामर्शी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। त्रुटि निराकरण के पश्चात् जिला–भू अर्जन कार्यालय से निधि की अधियाचना प्राप्त होने पर आवश्यक निधि उपलब्ध करा दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–02 / 2024(बजट) सत्र 936(S) राँची / दिनांक:– 27/2/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2643, दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अशोक कु० सिंह
27/2/24

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(60)

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० न०–परि–02 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कतरास में बहुत ही पुराना बस स्टैण्ड है जो जर्जर अवस्था में है, जबकि कोयलाँचल के लोगों के लिए अत्याधुनिक सुविधा वाले बस स्टैण्ड के निर्माण की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को अंर्तराजीय बस स्टैण्ड से बिहार–यू०पी०– बंगाल–उड़ीसा की यात्रा में सुविधा होगी तथा सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कतरास में अंतरराज्यीय बस स्टैण्ड का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	धनबाद नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धनबाद जिला अन्तर्गत अंतरराज्यीय बस टर्मिनल हेतु पण्डुकी, गोविन्दपुर में भूमि चिन्हित की गई है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05 / तारांकित–04 / 2024 / न०वि०आ० 793 राँची, दिनांक :– 27/02/24

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2795 दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/24.

सरकार के उप सचिव।

(61)

श्री नवीन कुमार जयसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० नं०–02 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हटिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत डोरण्डा से हिनू को जोड़ने वाला सहायक हिनू काठ पुल (छोटा कंक्रील पुल) काफी जर्जर स्थिति में है एवं वर्तमान में इस पुल की रेलिंग काफी दिनों से टूटी हुई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस पुल पर प्रतिदिन हजारों लोगों एवं छोटे–बड़े वाहनों की आवाजाही होती रहती है एवं पुल की रेलिंग टुटने से कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनजित एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से उक्त जर्जर पुल की रेलिंग एवं पुनः नये सिरे से पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राँची नगर निगम के पत्रांक–559/Eng दिनांक–22.02.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि संबंधित मामले की संज्ञान प्राप्ति के उपरान्त वर्णित स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि पुल कि वर्त्तमान स्थिति आवागमन हेतु ठीक है, परन्तु पुलिया के एक तरफ का रेलिंग एवं पुलिया का Pier आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसका प्राक्कलन निगम द्वारा तैयार किया जा रहा है, तदनुसार इसके कार्यान्वयन की अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05/तारांकित–01/2024/न०वि०आ० 750 राँची, दिनांक :– 26/02/24

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2677 दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/2/24

सरकार के उप सचिव।

(62)

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम्य–03 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1– क्या यह बात सही है कि राज्य के बोकारो जिले के गोमिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत (क) पेटरवार चिपुदाग के बड़कागढ़ा–उत्तासारा डुमरीगोडा के बीच (ख) कसमार लोधकियारी एवं डामरूगोडा–आदढेकिया नाला के बीच (ग) गटीगढ़ा एवं रोरिया के बीच गवई नदी (घ) गोमिया के लावालौंग एवं नारंग के बीच कटैल नदी (ड़) गोमिया तिसकोपी एवं चतरोचट्टी के बीच कैंकेया नदी (च) गोमिया, शास्त्रीनगर तुईयों के बीच खिराबेड़ा नाला (छ) गोमिया पारखरना एवं लोधी के बीच चिड़वा नाला (ज) गोमिया नवडंडा एवं दानरा के बीच (झ) गोमिया शास्त्रीनगर से चैयाटांड के बीच पुल निर्माण का सर्वे/DPR बनने के पश्चात तकनीकी स्वीकृति हो चुका है एवं प्रशासनिक स्वीकृति विभाग में लम्बित है; 2– क्या यह बात सही है कि उक्त पुलो का निर्माण नहीं हो पाने के कारण कई जिलों के लाखों ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ; 3–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुलो के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जनहित में कराना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत् प्रत्येक माननीय स0वि0स0 की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 दोनों को मिलाकर रू0 20.00 करोड़ तक की पुल/पुलिया निर्माण योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने संबंधी विभागीय नीति संसूचित है। माननीय स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित 07 योजनाओं की कुल रूपये 21.31 करोड़ की लागत पर स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में समेकित रूप से दी जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नांकित योजनाओं में से 06 योजना– (i) गोमिया के लावालौंग एवं नारंग के बीच कटैल नदी (ii) गोमिया तिसकोपी एवं चतरोचट्टी के बीच कैंकेया नदी (iii) गोमिया, शास्त्रीनगर तुईयों के बीच खिराबेड़ा नाला (iv) गोमिया पारखरना एवं लोधी के बीच चिड़वा नाला (v) गोमिया नवडंडा एवं दानरा के बीच (vi) गोमिया शास्त्रीनगर से चैयाटांड के बीच पुल निर्माण लावालौंग एवं नारंग के बीच कटैल नदी में पुल, तिसकोपी एवं चतरोचट्टी के बीच कैंकेया नदी में पुल, शास्त्रीनगर एवं तुईयों के बीच खिरबेड़ा नाला में पुल एवं पारखरना एवं लोधी के बीच चिड़वा नाला में पुल निर्माण की स्वीकृति प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रक्रियाधीन है। अन्य योजनाओं की स्वीकृति पर आगामी वित्तीय वर्ष में विभागीय नीति/बजटीय उपबंध के आलोक में विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–34/2024/ग्रा0का0वि0 446 राँची, दिनांक– 26/02/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2776 वि0स0 दिनांक– 21.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–34/2024/ग्रा0का0वि0 446 राँची, दिनांक– 26/02/2024

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–34/2024/ग्रा0का0वि0 446 राँची, दिनांक– 26/02/2024

प्रतिलिपि:– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव

63

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–03 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1– क्या यह बात सही है कि पलामू जिले सतबरवा प्रखण्ड के ग्राम–रजडेरवा में मलय नदी में पुल के अभाव में ग्रामीणों के आवागमन में काफी कठिनाई होती है;	स्वीकारात्मक।
2–क्या यह बात सही है कि बरसात के दिनों में यह मार्ग जो ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र का सम्पर्क मार्ग है वह पूर्णतः बन्द हो जाता है तथा ग्रामीणों को रोगियों को चिकित्सा हेतु काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीणों के कठिनाईयों को देखते हुए ग्राम–रजडेरवा में मलय नदी पर पुल का निर्माण जनहित में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नांकित पुल का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। डी0पी0आर0 प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–35/2024/ग्रा0का0वि0 445 राँची, दिनांक– 26/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2641 वि0स0 दिनांक– 18.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 26/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–35/2024/ग्रा0का0वि0 445 राँची, दिनांक– 26/02/2024

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 26/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–35/2024/ग्रा0का0वि0 445 राँची, दिनांक– 26/02/2024

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 26/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव

(64)

माननीय श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि पूर्व में किए गए अनुरोध के आधार पर राँची जिले के चान्हो प्रखण्ड में लगभग 17 किलोमीटर लम्बी पहाड़ टोली भाया मधुकम,बरवाटोली,हर्रा,हतनई,टंगरा टोली,लेप्सर,तरंगा,सोपाराम के सड़क निर्माण के संदर्भ में संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है;	प्रश्नगत् पथ के निमित्त DPR सृजन कार्य प्रगति में है। मार्गरेखांकण में पड़नेवाले दो पुलों के निरूपण (Design) हेतु परामर्शी द्वारा शीघ्र Sub-Soil exploration किया जाएगा। इस बीच पथ हस्तानान्तरण हेतु अनापत्ति के निमित्त ग्रामीण कार्य विभाग से अनुरोध किया गया है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सड़क निर्माण करने का विचार रखती है,हाँ,तो कब तक,नहीं,तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–08 / 2024(बजट) सत्र 945(S) **राँची / दिनांकः–** 27/02/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2797, दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अशोक कु० सिंह
27/2/24

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(65)

माननीय श्री दशरथ गागराई, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि खरसावां–रड़गाँव पथ के निर्माण के साथ ही एक तरफ से पिच उखड़ने लगा है ; 2. क्या यह बात सही है कि पिच उखड़ने से आवागमन में परेशानी हो रही है ; 3. क्या यह बात सही है कि खरसावां–रड़गाँव पथ निर्माण कार्य 11 वर्षो में भी पूर्ण नहीं हो सका है ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खरसावां–रड़गाँव पथ निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण मानकों के साथ शीघ्रकरने का विचार रखती है है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत् पथ, खरसांवा–हुरंगदा–रायजमा–कान्दरकुटी (रंगामाटी) रड़गांव पथ (लम्बाई–29.41 कि0मी0) की परियोजना विलम्बित है। संवेदक को उक्त कार्य के लिए डिबार किया गया था, जिसे मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। संवेदक द्वारा खराब अंश का सुधार किया जा रहा है। मुख्य अभियंता (याता0), पथ निर्माण विभाग, झारखंड, रांची की अध्यक्षता में विशेष दल से उक्त पथ की जांच कराकर तदनुसार कार्रवाई की जां सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–14 / 2024(बजट) सत्र 937(S) राँची / दिनांक:– 27/02/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2796, दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अशोक कु० सिंह
27/2/24
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

66

श्री सुखराम उराँव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–भ–02 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर में "राजा अर्जुन सिंह" के महल में जे0एन0एल0 महाविद्यालय का संचालन हो रही है,	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार काफी जर्जरावस्था में है, जिससे कभी भी अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है और पिछले गेट से आना–जाना हो रहा है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–02 में उल्लेखित क्षतिग्रस्त प्रवेश द्वारा को नये सिरे से नव–निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राज्य विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को State of the Art के रूप में विकसित करने हेतु विभागीय आदेश संख्या–02/बजट, दिनांक 05.04.2023 द्वारा जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, चक्रधरपुर के आधारभूत संरचना के विकास हेतु इसके नव निर्माण एवं जिर्णोद्धार कार्य हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त के क्रम में झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची द्वारा इसका डी0पी0आर0 तैयार किया गया है, जिसमें महाविद्यालय के लिए नया Science Block, Arts Block, Multipurpose Block एवं जिर्णोद्धार कार्य को सम्मिलित किया गया है, जिसपर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–20/2024 325 / राँची, दिनांक : 26/02/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय के ज्ञाप संख्या–2807, दिनांक 22.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

(67)

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधानसभा क्षेत्र खन्न, औद्योगिक एवं घनी आबादी का क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड निरसा अंतर्गत हिकिमडाल विनोद चौक से सिजुआ तक 7.00 K Mtr. पथ का निर्माण नहीं कराया गया है;	उक्त पथ (लं0–5 कि0मी0) का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष–2018 में पूर्ण कराया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ के अगल–बगल 10/15 गाँव/टोला अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के ऊपर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में आम अवाम को सुलभ आवागमन हेतु उपरोक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	पाँच वर्ष एवं उसके पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों की मरम्मति "मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना" के तहत कराये जाने संबंधी निर्णय संसूचित है। कार्य प्रमण्डल धनबाद द्वारा प्रश्नाधीन पथ का प्राक्कलन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत तैयार किया जा रहा है। तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में स्वीकृति पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–274/2024 ग्रा0का0वि0 403 राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2811, दिनांक–22.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रंजीत रंजन 26/2/24
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–274/2024 ग्रा0का0वि0 403 राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 26/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–274/2024 ग्रा0का0वि0 403 राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 26/2/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

69

माननीय श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो के सेक्टर–6 लाल बहादुर शास्त्री चौक से सेक्टर–11 होते हुए तेलमच्चो ब्रिज तक निर्मित करीब 8 किलोमीटर पुराने पथ की स्थिति सत्यंत जर्जर है और इस पथ पर काफी हैवी ट्रैफिक का आवागमन होता है तथा पथ के जर्जर रहने के कारण अक्सर यहाँ दुर्घटनाएं घटित होते रहती है ; 2. क्या यह बात सही है कि यह पथ धनबाद सहित पूरे संथाल परगना को राजधानी राँची से जोड़ता है, जिसके नव निर्माण से पूरे संथाल परगना सहित धनबाद और बोकारो के लोगों को राजधानी राँची पहुँचने में समय और वाहन के ईंधन की बचत होगी ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित में इसी वित्तीय वर्ष में उक्त महत्वपूर्ण पथ का निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ की लम्बाई–5.965 कि0मी0 है। जिसमें सेक्टर–11 से तेलमच्चो पुल (NH-32) (लम्बाई–3.650 कि0मी0) का पथांश, पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत है, जो अच्छी अवस्था में है। जबकि सेक्टर–11 से लालबहादुर शास्त्री चौक (लम्बाई–2.315 कि0मी0) SAIL, बोकारो के स्वामित्व में है। उन्नत रोड नेटवर्क connectivity के मद्देनजर उक्त पथ के फोर लेनिंग के लिए डी0पी0आर0 का सूत्रण किया है तथा CRIFअन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है। स्वीकृति के उपरान्त कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–03 / 2024(बजट) सत्र 934(S) **राँची / दिनांक:–** 27/02/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2644, दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अशोक कु० सिंह 27/2/24
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

70

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० न०–04 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा शहर के बस पड़ाव वीर शहीद तेलंगा खड़िया के नाम पर रखा गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वीर शहीद तेलंगा खड़िया बस स्टैंड से सिमडेगा के नगर परिषद् को लाखों रूपया का राजस्व प्राप्त होने के बावजूद नगर परिषद द्वारा वीर शहीद तेलंगा खड़िया का मूर्ति स्थापित नहीं की गयी;	सिमडेगा नगर परिषद् द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मूर्ति स्थापित किये जाने हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण नगर परिषद् सीमा क्षेत्र अंतर्गत सोनारटोली में वीर शहीद तेलंगा खड़िया का स्मारक स्थल अलग से बनाया गया है, जिसमें उनकी मूर्ति स्थापित है।
3.	क्या यह बात सही है कि बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बैठने एवं सुविधाओं की समुचित व्यवस्था नहीं है यहाँ प्रतिदिन 100 से ज्यादा बसों का आवागमन होता है, यह स्टैंड अंतर्राज्यीय भी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि वर्तमान बस पड़ाव पुराना है एवं तत्समय उपलब्ध स्थान में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है।
4.	क्या यह बात सही है कि बस स्टैंड में सुरक्षा का व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण आये दिन अपराधिक मामलों को देखते हुए स्टैंड में अपराधों को नियंत्रण एवं निगरानी रखने हेतु स्टैंड में किसी भी जगह पर CCTV कैमरे की व्यवस्था नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। बस स्टैण्ड में अपराध नियंत्रण हेतु CCTV कैमरे की व्यवस्था बस स्टैण्ड के दोनों द्वारों पर की गई है, जिसकी निगरानी नियंत्रण कक्ष, सिमडेगा द्वारा की जा रही है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन समस्याओं का निराकरण कर इसी वित्तीय वर्ष में कार्या को कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तु स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–05 / तारांकित–03 / 2024 / न०वि०आ० 794 राँची, दिनांक :– 27/02/24

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2774 दिनांक–21.02.2024 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/24
सरकार के उप सचिव।

(71)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 के लिए प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या– ग्राम 07 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2014 से झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी में लगभग एक हजार पीआरपी एवं बीएपी कार्यरत है, जिनके माध्यम से सरकार राज्य में महिला सशक्तिकरण आजीविका संवर्धन कार्यों का संचालन करवा रही है।	आंशिक स्वीकारात्मक राज्य में वर्तमान में 114 ब्लाक एंकर पर्सन (BAP) एवं 734 इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन (IPRP) सम्बंधित संकुल संगठनों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इनमें से लगभग 34% ने वर्ष 2015 से 2017 तक में, एवं शेष 66% ने वर्ष 2017 के उपरांत वर्ष 2018 से 2023 तक में आवश्यकतानुसार विभिन्न तिथियों पर विभिन्न संकुल संगठनों में कैडर के रूप में दैनिक मानदेय आधारित सेवा दे रहे हैं। ये कैडर झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ग्रामीण विकास विभाग के कर्मी नहीं हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड –01 में वर्णित कर्मियों को सरकार द्वारा वर्ष 2014 से 2020 तक मानदेय का भुगतान संबंधित कर्मियों के खाते में की जाती थी, परन्तु अब उक्त कर्मियों को 03 (तीन हजार) रूपयें राशि काटकर मानदेय का भुगतान की जा रही है।	आंशिक स्वीकारात्मक यह सही है कि सभी संकुल संगठन के गठन होने से पूर्व IPRP एवं BAP के मानदेय का भुगतान JSLPS के द्वारा सीधे इनके खाते में किया जाता था. परन्तु संकुल संगठन के गठन के उपरांत इनका मानदेय इनके सम्बंधित संकुल संगठनों के माध्यम से इनके व्यक्तिगत खाते में किया जाता है, परन्तु इनके मानदेय में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य में संविदा/अनुबंध पर कार्यरत अन्य कर्मियों को सरकार द्वारा समय–समय पर मानदेय में वृद्धि के साथ–साथ भविष्य निधि का लाभ भी दी जाती है, परन्तु खण्ड –01 में वर्णित कर्मियों का मानदेय में वर्ष 2014 के बाद सरकार द्वारा न तो कोई बढ़ोतरी की गई और न ही उक्त कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ पर विचार की गई है।	खंड –01 में वर्णित इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन (IPRP) और ब्लाक एंकर पर्सन (BAP) झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ग्रामीण विकास विभाग के कर्मी नहीं हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक File no-J-11060/19/2021-RL-part-2 E-376506 (RL Division), दिनांक–16.12.2022 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (झारखण्ड में JSLPS), DAY&NRLM कार्यक्रम के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह एवं इनके फेडरेशन (ग्राम संगठन एवं संकुल संगठन) को अपने कार्यों के सतत संचालन हेतु कर्मचारी एवं सामुदायिक कैडर रखने एवं उनका वेतन/मानदेय अपने आतंरिक आय से करने के लिए सहयोग करना है। चूँकि, प्रारंभिक चरण में इन सामुदायिक संस्थाओं (SHG, ग्राम संगठन एवं संकुल संगठन) के पास पर्याप्त आय नहीं होगा, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को सलाह दी जाती है कि उनके द्वारा सामुदायिक कैडरों को मानदेय देने के लिए आवश्यक धनराशि सामुदायिक संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाएगी जो कि धीरे धीरे कम करते जाना है ताकि चार वर्षों के उपरांत सम्बंधित सामुदायिक संस्थाएं अपने कैडरों/कर्मियों के मानदेय का पूर्णतया भुगतान अपने स्वयं की आय से कर सकें। एनआरएलएम के निर्देश के आलोक में वर्तमान में पीआरपी व बीएपी के भुगतान हेतु राज्य सरकार/जेएसएलपीएस स्तर से वृद्धि का प्रावधान नहीं है अतएंव पीआरपी व बीएपी के मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए उक्त कर्मियों के मानदेय का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए उक्त कर्मियों के मानदेय का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त तीनो खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांकः–JSLPS/NRLM/SMIB/2024/155/ 356 राँची, दिनांकः– 27/02/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–2809 दिनांक–22.02.2024 के आलोकमें उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/24

(संदीप सिंह)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जे०एस०एल०पी०एस०।

ज्ञापांकः–JSLPS/NRLM/SMIB/2024/155/ 356 राँची, दिनांकः– 27/02/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–2809 दिनांक– 22.02.2024 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/24

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जे०एस०एल०पी०एस०।

ज्ञापांकः–JSLPS/NRLM/SMIB/2024/155/ 356 राँची, दिनांकः– 27/02/2024

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/ को सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/24

मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी,
जे०एस०एल०पी०एस०।

ज्ञापांकः–JSLPS/NRLM/SMIB/2024/155/ 356 राँची, दिनांकः– 27/02/2024

प्रतिलिपि–विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/24

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जे०एस०एल०पी०एस०।

श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–01 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
01– क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत तोरपा प्रखण्ड के पाकरटोली से गुड़गुड़चुआं पाकरटोली नाला में पुल नहीं होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को आने–जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
02–क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पुल के बन जाने से ग्रामीणों को आने–जाने एवं बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा होगी ;	स्वीकारात्मक।
03–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	प्रश्नांकित योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। निविदा निस्तार के उपरांत पुल निर्माण की अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–36 / 2024 / ग्रा0का0वि0 440 राँची, दिनांक – 26/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2639 वि0स0 दिनांक– 18.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–36 / 2024 / ग्रा0का0वि0 440 राँची, दिनांक –26/02/2024

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–36 / 2024 / ग्रा0का0वि0 440 राँची, दिनांक – 26/02/2024

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव

(74)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय स0वि0स0 से दिनांक– 28.02.2024 के लिए प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0– ग्राम– 04

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति नियमावली में वित्त विभाग के संकल्प सं0– 965/वि0 दिनांक– 25.03.09 के आलोक में मासिक संविदा राशि के निर्धारण तथा भुगतान किए जाने का उल्लेख है;	अस्वीकारात्मक, विभागीय अधिसूचना सं0– 3860 दिनांक– 28.07.2015 द्वारा संशोधित डी0आर0डी0ए0 नियुक्ति, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य नियमावली, 2009 के नियम 09 के अनुसार वित्त विभाग द्वारा संविदा कर्मियों के लिए निर्धारित महँगाई भत्ता के अनुरूप डी0आर0डी0ए0 में कार्यरत कर्मियों को मासिक संविदा राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में वर्णित संकल्प को वित्त विभाग ने संशोधित कर नया संकल्प 1284/वि0, दिनांक– 03.05.2023 जारी किया है, जो दिनांक– 01.04.2023 से प्रभावी है;	स्वीकारात्मक, वित्त विभागीय संकल्प सं0– 1284/वि0 दिनांक– 03.05.2023 राज्य के संविदा कर्मियों, जिनकी नियुक्ति वित्त विभागीय परिपत्र सं0– 4569 दिनांक– 05.07.2002 के आलोक में की गई है, के लिए लागू है। डी0आर0डी0ए0 कर्मियों की नियुक्ति डी0आर0डी0ए0 नियुक्ति, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य नियमावली, 2009 के आधार पर हुई है। इस प्रकार डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को वित्त विभागीय संकल्प सं0– 1284/वि0 दिनांक– 03.05.2023 के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण आधारित निर्धारित संविदा राशि अनुमान्य नहीं है। उक्त कर्मियों को नियमावली के तहत सृजित पदों के लिए स्वीकृत छठे अपुनरीक्षित वेतनमान में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित महँगाई भत्ता के आधार पर मासिक संविदा राशि का भुगतान किया जाना है। ज्ञातव्य हो कि दिनांक– 01.04.2022 से भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित डी0आर0डी0ए0 प्रशासन योजना को बंद होने की सूचना देते हुए डी0आर0डी0ए0 को जिला परिषद में विलय किए जाने का सुझाव दिया गया है। तद्नुसार पंचायती राज अधिनियम की धारा 77 (ख) के आलोक में डी0आर0डी0ए0 का जिला परिषद में विलयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड– 2 में वर्णित संशोधित संकल्प के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत कर्मियों को सातवाँ वेतन के अनुरूप एकमुश्त संविदा राशि के भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक– 11– 01– वि0स0 (DRDA)/2024/ 783, **/ग्रा0वि0, राँची, दिनांक–** 27/02/2024

प्रतिलिपिः– श्री निलेश, अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप– 2670, दिनांक– 19.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2024
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 11– 01– वि0स0 (DRDA)/2024/ 783, /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक–27/02/2024,

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के वरीय आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/2024
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 11– 01– वि0स0 (DRDA)/2024/ 783, /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक–27/02/2024

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 03, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2024
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

75

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–01 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री दीपक बिरूवा, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
01	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा ग्राम गाड़ी योजनाकी शुरूआत दिसम्बर, 2023 में करनी थी;	अस्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि इस योजना के तहत् पंचायतों को अनुमण्डल से और अनुमण्डल को जिला मुख्यालय से जोड़ना है;	स्वीकारात्मक।
03	क्या यह बात सही है कि इस योजना से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्रों, किसानों और रोजगार के लिए शहर आने वाले मजदूरों को लाभ होगा,	स्वीकारात्मक।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस योजना को शीघ्र आरंभ करना चहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के कार्यान्वयन की स्वीकृति परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार का संकल्प सं०–1217 दिनांक–13.10.2022 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त योजना के प्रावधानों में यथावश्यक संशोधन विभागीय संकल्प सं०–1227, दिनांक–20.10.2023 के माध्यम से निर्गत की गयी है। इस योजना के तहत बसों का परिचालन हेतु अबतक कुल 580 ग्रामीण मार्ग अधिसूचित किये जा चुके हैं। उक्त योजना के अंतर्गत इच्छुक वाहन स्वामी अधिसूचित ग्रामीण मार्ग पर बसों का परिचालन हेतु आवेदन संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

27/02/24
उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०प्र०)–12/2024 318 /राँची, दिनांक 27.02.2024

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2647 दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/24
उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०प्र०)–12/2024 318 /राँची, दिनांक 27.02.2024

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/24
उप सचिव
परिवहन विभाग।

(76)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2024 को सदन में पूछा जानेवाल तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–06 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के झरिया अन्तर्गत राज्य संपोषित योजना के तहत् स्वीकृत वर्ष 2001–02 से 2015–16 तक निर्मित कुल–29 पथों की स्थिति अत्यंत ही जर्जर/क्षतिग्रस्त है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा धनबाद नगर निगम के गठन के पश्चात् झरिया में राज्य संपोषित योजना के तहत् पथों का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण खण्ड–01 में वर्णित सभी जर्जर पथों पर छोटे–बड़े वाहन चालकों तथा राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित योजना के तहत् निर्मित सभी जर्जर/क्षतिग्रस्त 29 पथों को पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, धनबाद को हस्तांतरित करते हुए इसके पुनर्निर्माण/मजबूतीकरण व चौड़ीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	धनबाद नगर निगम द्वारा पत्रांक–380 दिनांक–24.02.2024 से प्रतिवेदित किया गया है कि झरिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त पथों का सुदृढ़ीकरण कार्य DMFT मद से कराये जाने के प्रस्ताव पर अनापत्ति निगम कार्यालय के पत्रांक–24 दिनांक–07.01.2022 एवं पत्रांक–3598 दिनांक–25.11.2022 द्वारा दी जा चुकी है। साथ ही, धनबाद नगर निगम द्वारा अत्यंत जर्जर/क्षतिग्रस्त पथों को चिन्हित कर पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05/वि०मं०प्र०(ता०)–05/2024 न०वि०आ० 795 राँची, दिनांक– 27/02/24

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–2678 वि०स० दिनांक–19.02.2024 एवं ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–406(अनु०) दिनांक–23.02.2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/24.
सरकार के उप सचिव।

(77)

श्री नवीन कुमार जयसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० नं०–03 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि एच०ई०सी० परिसर के सेक्टर–1 बी० टाईप एवं इसके आस–पास के इलाके में सिवरेज ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इस इलाके के घर एवं नाली का गंदा पानी सड़क एवं घर के अगल–बगल बह रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में एच०ई०सी० परिसर में राज्य सरकार के द्वारा अनेकों योजनाओं जैसे सड़क, भवन एवं नाली इत्यादी का क्रियान्वयन किया जा रहा है, परन्तु सिवरेज ड्रेनेज का कार्य इस इलाके में नहीं कराया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनता के हित में एच०ई०सी परिसर के सेक्टर–1 बी० टाईप एवं इसके आस–पास के इलाके में सिवरेज ड्रेनेज का कार्य करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	एच०ई०सी० परिसर के सेक्टर–1 बी० टाईप एवं इसके आस–पास के इलाकों तथा अन्य क्षेत्रों के लिए राँची नगर निगम अन्तर्गत राँची सिवरेज एवं ड्रेनेज परियोजना का सम्पोषण एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्रस्तावित है। उक्त योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) झारखण्ड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रुभमेंट (JUWSIP) के तहत JUIDCO द्वारा तैयार किया जा रहा है। आवश्यक अनुमोदन के पश्चात इस योजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05 / तारांकित–01 / 2024 / न०वि०आ० 783 राँची, दिनांक :– 27/02/24

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2676 दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/24.
सरकार के उप सचिव।

(78)

माननीय श्री मथुरा प्रसाद महतो, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि राज्य की राजधानी राँची में यातायात में सुविधा हेतु रिंग रोड का निर्माण कराया गया है, जिसमें भारी वाहनों का परिचालन के साथ–साथ वाहनों की गति अत्यधिक होती है;	यह पथांश राँची रिंग रोड के Section-VII का पथांश है। इस पथांश को राज्य सरकार द्वारा लोक निजी भागीदारी पर 6 लेन के पथ के रूप में विकसित किया गया है। वर्णित पथांश रिंग रोड में इस पथांश के कि0मी0 3.700 में मनातु बस्ती से संबंधित है।
2. क्या यह बात सही है कि राँची के काँके प्रखण्ड अन्तर्गत मनातु ग्राम घनी आबादी वाला ग्राम है, जिससे ग्रामीणों को हमेशा रिंग रोड आर–पार करना पड़ता है और उक्त स्थल पर फ्लाई ओवर ब्रीज नहीं होने के कारण कई बार दुर्घटना घट चुकी है तथा ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	दुर्घटना से बचाव हेतु एकरारनामा के अनुसार गति नियंत्रण के लिए साईन बोर्ड, ब्रेकर और बलींकर लगाया गया है। प्रश्नगत् क्रॉसिंग के पास भी स्पीड ब्रेकर तथा सोलर येलो बलींकर दोनों तरफ लगा हुआ है। क्रॉसिंग से विकास की तरफ 100 मीटर तथा तिरला चौक (रातु रोड) के तरफ 1.5 कि0मी0 पर कट है। अतएव सड़क सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैतो क्या सरकार वर्णित ग्राम के समीप रिंग रोड में फ्लाई ओवर ब्रीज निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मान्नीय सदस्य की भावना के मद्देनजर प्रश्नगत् स्थल के लिए विकल्प हेतु मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, झारखंड, रांची तथा JARDCL की संयुक्त टीम से संभाव्यता अध्ययन कराकर फलाफल अनुसार कारवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

झापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–10/2024(बजट) सत्र 1540(S) राँची/दिनांक:– 27/02/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2798, दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(हस्ताक्षर) 27/2/24
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय श्री मनीष जायसवाल, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग शहरी क्षेत्र के भारत माता चौक से हनुमान चौक तक सड़क (लगभग 10कि0मी0) काफी जर्जर व संकीर्ण हैं जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई होने के साथ उक्त सड़क में हमेशा जाम की स्थिति रहती है ;	प्रश्नगत् पथांश हजारीबाग शहर अंतर्गत पुराना एन0एच0 पथांश है। जो NHAI द्वारा निर्मित हजारीबाग बाईपास के दोनों छोर को सम्पर्क करनेवाला शहरी पथांश है। जिसकी लम्बाई–9.284 कि0मी0 है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित सड़क शहर के बाईपास को जोड़ती है तथा उक्त सड़क के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण होने से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी ;	उक्त पथांश को फोर–लेन में विकसित करने हेतु DPR का गठन किया गया है तथा CRIF अंतर्गत स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित सड़क का चौड़ीकरण व मजबूतीकरण कराने का विचार रखती है,हाँ,तो कब तक,नहीं,तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार

<u>पथ निर्माण विभाग, राँची।</u>

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–07/2024(बजट) सत्र 930(S) **राँची/दिनांक:–** 27.2.24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2802, दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अशोक कुमार
27/2/24

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।